

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

अधिसूचना क्र. 66 एफ. 1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

जिले का नाम (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	क्र. (3)	एल्डरमेन का नाम एवं पता (4)
बैतूल	आठनेर	1	श्री सुभाष जैसवाल पिता श्री किशोरी जैसवाल, वार्ड नं. 05, आठनेर, तहसील आठनेर, जिला बैतूल.
		2	श्री सूरज राठौर पिता श्री देवीराम राठौर, वार्ड नं. 05, आठनेर, तहसील आठनेर, जिला बैतूल.
	चिचौली	1	श्री प्रवीण जैन पिता श्री प्रभाकर जैन, वार्ड नं. 10 चिचौली, जिला बैतूल
		2	श्री हनीफ खॉं पिता श्री शेख खॉं, निवासी वार्ड नं. 13, चिचौली, जिला बैतूल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.